18.5.16

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई इकरारनामा/राजीनामा पक्षकारान प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया राजीनामा मनन किया बाद बहस राजीनामा मुताबिक डिक्री जारी किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (प्र.)
सुजानगढ़

रामपाल
LTI
किशोर
अ.नि. किशोर
रामबल्लभ
रामचन्द्र

A7/1

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर कैम्प कोर्ट खजवाना

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 223/2016

1. रामपाल पुत्र श्री हमीरा
2. भूराराम पुत्र हमीरा
3. बिदामी पत्नि श्रवणराम
4. किशोरराम पुत्र श्रवणराम
5. सोनी पुत्र श्रवणराम

जाति नायक निवासीगण भडाणा तहसील व जिला नागौर वादीगण

बनाम

1. भारमल पुत्र बन्नाराम
2. सीताराम पुत्र भारमल
3. भगवानाराम पुत्र भारमल
4. रामनिवास पुत्र भारमल जाति नायक निवासीगण भडाणा तहसील व जिला नागौर
5. रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति नायक निवासी रेण हाल निवासी भडाणा
6. भंवराई पत्नि लूणाराम
7. मुन्नाराम पुत्र लूणाराम
8. धन्नाराम पुत्र लूणाराम
9. भल्लाराम पुत्र लूणाराम जाति नायक निवासी भडाणा प्रतिवादी संख्या 8 धन्नाराम व 9 भल्लाराम नाबालिक जरिए संरक्षिका माता प्रतिवादी संख्या 6 भंवराई
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नागौर प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री रामेश्वरलाल एडवोकेट वादीगण
1. श्री भगवानसिंह राठौड एडवोकेट प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी तथा स्थाई व्यादेश वाद अधीन धारा 88, 188 विकल्प में 92 क राजस्थान टिनेसी अधिनियम ।

निर्णय दिनांक :– 18/5/16

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी तथा स्थाई व्यादेश वाद अधीन धारा 88, 188 विकल्प में 92 क राजस्थान टिनेसी अधिनियम पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

वादी संख्या 1 व 2 स्व. हमीरा के पुत्रगण है। हमीरा के दो पुत्र श्रवणराम तथा लूणाराम ओर थे। जिन का देहान्त हो चुका है। वादी संख्या 3 श्रवणराम की पत्नि तथा वादी संख्या 4 व 5 श्रवणराम के पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 6 स्व. लूणाराम की पत्नि तथा

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

A2/2

प्रतिवादी संख्या 7, 8 व 9 स्व. लूणाराम के पुत्र है। जिनमें प्रतिवादी संख्या 8 धन्नाराम की आयु 17 वर्ष व प्रतिवादी संख्या 9 भल्लाराम की आयु 15 वर्ष है जो दोनो अवयस्क है। प्रतिवादी संख्या 6 भंवराई उनकी माता तथा नैसर्गिक संरक्षक है। जिसका कोई हित प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के विपरीत नही है। इसलिए यह वाद नाबालिग प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध जरिए प्राकृतिक संरक्षक प्रतिवादी संख्या 6 भंवराई के किया जाता है।

ग्राम भडाणा में खसरा नम्बर 526 में से 15 बीघा भूमि स्व. हमीरा के कब्जा काश्त में सम्वत 2012 से भी पूर्व से लगातार चलता आया है। सम्पूर्ण 15 बीघा भूमि के पड़ौस निम्न है:– क– उत्तर में वादी संख्या 3 बिदामी के खातेदारी का खेत, ख– दक्षिण में खसरा नम्बर 524 सार्वजनिक लाटा व एक भाग में स्कूल, ग–पूर्व में श्री बन्शीलाल तथा श्री शंकर नैना के खेत व स्कूल, घ–पश्चिम में भडाणा ठाकूर साहब का खेत। उपरोक्त सपूर्ण 15 बीघा भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपर वर्णित 15 बीघा भूमि पर स्व. हमीरा का कब्जा व काश्त राजस्थान टिनेसी अधिनियम प्रभावशील हुआ तब से लगातार साधिकार चलता आया है। इसलिए इस भूमि पर स्व. हमीरा को विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। परन्तु स्व. हमीरा के नाम से राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज नही हो सकी। इसलिए स्व. हमीरा ने नियमन कराने हेतु कार्यवाही की तब भी अपना कब्जा 15 बीघा भूमि पर होने, अन्य खातेदारी की भूमि नही होना बतलाया जिस पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तब भी मौका पर 15 बीघा भूमि स्व. हमीरा के कब्जा में होने के तथ्य का सत्यापन्न किया परन्तु आवंटन कमेटी के सदस्यों द्वारा मात्र 6 बीघा भूमि का नियमन करने का आदेश पारित किया गया जिस पर उसके कब्जा की तथा विधिनुसार प्राप्त खातेदारी की 15 बीघा भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए परन्तु पूरी 15 बीघा भूमि का नियमन नहीं होने से शेंष 9 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा करने हेतु वादी यह वाद प्रस्तुत करता है।

प्रतिवादीगण का वाद ग्रस्त भूमि के किसी भाग पर कभी भी किसी प्रकार का हित नही रहा न कब्जा रहा परन्तु वे लाठी के बल तथा दादागिरी से वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत में से वादीगण को बेदखल करने तथा वादीगण की फसल नष्ट करने पर तत्पर है। इस वर्ष जुलाई माह में वादीगण ने खेत में काश्त करने हेतु खरनी की तथा उतरादा 5 बीघा ज्वार की फसल बोई, एवं काश्त की तैयारी कर रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने खेत में आकर वादीगण द्वारा रखवाली के लिए बनाई हुई झोपड़ी में एक चारपाई बिस्तर रख दिये तथा वे अपने परिवार के सदस्यों को जबरन ले गए तथा वादीगण को काश्त नही करने दी। झगड़ा करने लगे जिस पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर महोदय नागौर के समक्ष दिनांक 11.07.2012 को पेश कर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया जिस पर उन्होने श्रीमान को प्रार्थना पत्र भेजा एवं श्रीमान द्वारा भू राजस्व निरीक्षण से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश दिया गया। भू राजस्व निरीक्षक व पटवारी ने स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 14. 07.2012 को तैयार किया तब यही स्थिति पाई। उन्होने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रतिवादी भारमल आदतन बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है तथा वह भोले भोले ग्रामिणों व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कब्जा सुद जमीनों की टोह में रहता है तथा लाठी के

सहायक कलक्टर (ह.)
नागौर

A 2/3

जोर पर जमीनों का कब्जा कर के प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा करवा कर पैसे हड़पता है। इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम संख्या 3 भगवान संख्या 4 रामनिवास तथा अपना भाणजा प्रतिवादी संख्या 4 रामचन्द्र के सहयोग से वादीगण को वाद ग्रस्त खेत से बेदखल करने पर उतारू है। जैसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश कर रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का वाद ग्रस्त खेत या उस के हिस्से पर कभी भी कोई हित या कब्जा नही रहा। वादीगण स्व हमीरा के उत्तराधिकारीगण है तथा वाद पत्र में पूर्व में वर्णित तथ्यों के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार है तथा लगातार काबिज है तथा काश्त करते आये है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है। सुविधा सन्तुलन भी पूर्व में चले आ रहे कब्जे काश्त को यथावत रखने मे वादीगण के पक्ष में है। यदि वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो उन के व उन के परिवार का निर्वाह का साधन समाप्त हो जावेगा। इसलिए अपूर्णनीय क्षति वादीगण को है इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

वाद हेतु वादीगण के पक्ष में है तथा प्रतिवादीगण के विपक्ष में वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 व 2 के पिता व स्व हमीरा के कब्जे व काश्त में सम्वत 2010 से पूर्व से होने इस में मात्र 6 बीघा नियमन आदेश दिनांक 26.06.2002 के द्वारा नियमन होने , वादीगण का कब्जा व काश्त अनवरत रूप से रहने, इसी जुलाई माह में वादीगण द्वारा खेत में खडनी करने, रखवाली हेतु झोपड़ी बनाने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा जबरन एक चारपाई तथा बिस्तर लाकर रखने व काश्त करने से मना करने व जबरन कब्जा करने पर उतारू होने वादी संख्या 1 व 2 द्वारा जिला कलेक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 11.07.2012 को प्रार्थना पत्र पेश करने जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय नागौरद के पास भेजने एवं उन के द्वारा मौका की तथ्यात्मक रिपोर्ट भू राजस्व निरीक्षक से मागने भू राजस्व निरीक्षक के द्वारा दिनांक 14.07.2012 को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन बनाने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा अभी भी वादी को जबरन कब्जा कर लेने की धमकियां देने से पैदा हुआ।

प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है यदि प्रतिवादी संख्या 10 को नोटिस देकर दो माह तक इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादीगण को बेदखल कर देंगे। वादग्रस्त खेत की घोषणा करवाई जाना अतिआवश्यक होने से तथा उसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूध स्थाई व्यादेश प्राप्त करना आवश्यक होने से प्रतिवादी संख्या 10 के विरूध वाद बिना नोटिस अधीन धारा 80 सि प्र स का नोटिस दिऐ बिना पेश करना आवश्यक हुआ। धारा 80(2) सि प्र स के तहत वादीगण को वाद पेश करने हेतु अनुमति दी जानी आवश्यक उचित एवं न्याय संगत है। धारा 80(2) सि प्र स के तहत वाद करने की अनुमति हेतु अलग से आवेदन पत्र पेश है।

वादीगण की प्रार्थना है कि डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में निम्न प्रकार से पारित की जावे :

क– खेत खसरा नम्बर 526 मे से 15 बीघा भूमि जिसके पड़ौस वाद पत्र के अनु स 2 में दिये गये है उसे वादीगण के खातेदारी का घोषित किया जावे।

ख– स्थाई व्यादेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का जारी किया जावे कि वाद ग्रस्त भूमि खेत पर वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप रोक टोक नही करे न वादीगण को बेदखल करें ऐसा न तो वह स्वयं करे न अन्य के सहयोग से या अन्य के द्वारा क़रवावे।

ग– वाद का खर्चा व हर्जा तथा अन्य अनुतोष जो वादीगण के लाभार्थ हो प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाऐ जावे।

वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से निम्नलिखित जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत है–

वाद का पैरा संख्या 1 जिस प्रकार से वर्णित किया है, अपूर्ण व अस्पष्ट होने से अस्वीकार है नाबालिगान की ओर से वाद पेश करने बाबत न्यायालय से विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की है दोयम में जिस प्रकार से वादीगण ने पक्षकारान का सम्बन्ध बताया है उनका उतरदाता/ काउण्टर क्लेम कर्ताओ से कोई सरोकार नहीं है।

वाद का पैरा संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज किया है गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि ग्राम भडाणा के खसरा नम्बर 526 में से 15 बीघा भूमि स्व. हमीरा के कब्जा काश्त में संवत 2012 से भी पूर्व से लगातार रहती चली आयी हो और उक्त 15 बीघा भूमि के पड़ौस उतर में वादी सं. 3 बिदामी के खातेदारी का खेत, दक्षिण में खसरा नं. 24 सार्वजनिक लाटा व एक भाग में स्कूल, पूर्व में बंशीलाल, शंकर नेना के खेत व स्कूल तथा पश्चिम में भडाणा ठाकुर साहब का खेत हो।

जबकि खसरा नम्बर 526 गेर मुमकिन मगरा मौजा भडाणा एक बहुत बड़ा रकबा है जिसमें से 10 बीघा भूमि पर संवत 2030 से पूर्व से प्रतिवादी संख्या 1 भारमल का निरन्तर बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त रहता चला आया है, जिसमें उसकी रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें परिवार सहित निवास करते है पानी का होद बना हुआ है पशुओं का बाड़ा बनाया हुआ है तथा चारों तरफ तारबंदी की हुई है। मात्र मूल खसरा नम्बर 526 में से भारमल को नियमानुसार भूमि नियमन होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो रखी है लेकिन अब वादीगण की नियत में बदयान्ती आ गयी है व भारमल की जमीन को हड़पने की नियत से उसकी भूमि को अपने कब्जा काश्त की होना बता कर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें वादीगण सफल नही हो सकते।

वाद का पैरा संख्या 3 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि उपर वर्णित 15 बीघा भूमि पर स्व. हमीरा का कब्जा व काश्त राज0 टिनेसी एक्ट प्रभावशाली हुआ तब से लगातार साधिकार चलता आया हो इसलिए इस भूमि पर हमीरा को विधिनुसाबर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हो। यह भी गलत है कि स्व. हमीरा के नाम से राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज नही हो सकी इसलिए हमीरा ने नियमन कराने हेतु कार्यवाही की तब भी अपना कब्जा 15 बीघा भूमि पर होने व अन्य खातेदारी की भूमि नहीं होना बतलाया जिस पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तब भी उक्त

सहायक कलक्टर
उदयपुर

भूमि स्व. हमीरा के कब्जा में होने के तथ्य का सत्यापन किया गया हो परन्तु आवंटन कमेटी के सदस्यों द्वारा मात्र 6 बीघा भूमि का नियमन करने का आदेश पारीत किया जिस पर उसके कब्जा काश्त की खातेदारी 15 बीघा भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गये हो। यह भी गलत है कि पूरी 15 बीघा भूमि का नियमन नहीं होने से शेंष 9 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी हो।

हस्तगत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त हक अधिकार, खातेदारी की कदीम से रहती चली आयी है उसी को वादीगण अपनी खातेदारी की घौषित करने का प्रयास कर रहे है जो कतई गलत, विधि विरूद्ध व बिना अधिकार के होन से ऐसा होना किसी भी सूरत में संभव नहीं है वादीगण ने मौके की स्थिति के विपरीत तथ्य दर्ज कर वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र में अनावश्यक पक्षकार बनाये है।

वाद का पैरा संख्या 4 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर कभी भी किसी प्रकार का हित नही रहा हो न कब्जा रहा हो। यह भी गलत है कि प्रतिवादीगण लाठी के बल तथा दादागिरी से वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत में से वादीगण को बेदखल करने तथा वादीगण की फसल नष्ट करने पर तत्पर हो। यह भी गलत है कि इस वर्ष जुलाई माह में वादीगण ने खेत में काश्त करने हेतु खरनी की तथा उतरादा 5 बीघा में ज्वार की फसल बोई व काश्त की तैयार कर रहे थे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने खेत में आकर वादीगण द्वारा रखवाली के लिए बनाई हुई झौपड़ी में एक चारपाई, बिस्तर रख दिए तथा वे अपने परिवार के सदस्यों को जबरन ले गये तथा वादीगण को काश्त नही करने दी हो।

वादीगण ने उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य बनावटी, झूठे व मनगढंत कहानी बना कर दर्ज किये है जो किसी भी सूरत में माने जाने योग्य नहीं है। जैसा कि उपर कथन किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 526 गेर मुमकिन मगरा मौजा भडाणा एक बहुत बड़ा रकबा है जिसमें से 10 बीघा भूमि पर संवत 2030 से पूर्व से प्रतिवादी संख्या 1 भारमल का निरन्तर बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त रहता चला आया है, जिसमें उसकी रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें परिवार सहित निवास करते है पानी का होद बना हुआ है पशुओं का बाड़ा बनाया हुआ है तथा चारों तरफ तारबंदी की हुई है। मात्र मूल खसरा नम्बर 526 में सेद भारमल को नियमानुसार भूमि नियमन होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो रखी है लेकिन अब वादीगण की नियत में बदयान्ती आ गयी है व भारमल की जमीन हड़पने की नियत से उसकी भूमि को अपने कब्जा काश्त की होना बता कर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें वादीगण सफल नहीं हो सकते।

वादीगणों का यह कथन भी ग़लत है कि प्रतिवादीगण उन से झगड़ा करने लगे हो जिस पर वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को पेश किया हो और यह भी गलत है कि मौके पर वादीगण का कब्जा आया हो, यह भी गलत है कि प्रतिवादी भारमल आदतन बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है और भोले भाले ग्रामिणों व अनुसूचित

A26

जाति के व्यक्तियों के कब्जासुद जमीनों की टोह में रहता हो तथा लाठी के जोर पर जमीनों का कब्जा करके प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा करवा कर पैसे हड़पता हो। यह भी गलत है कि इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम, प्रतिवादी संख्या भगवानाराम, प्रतिवादी संख्या 4 रामनिवास तथा अपना भाणजा प्रतिवादी संख्या 5 रामचन्द्र के सहयोग से वादीगण को वादग्रस्त खेत से बेदखल करने पर उतारू हो।

वादीगण ने अपने झूठे व मनगढंत तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है कि प्रतिवादी भारमल बदमाश प्रवृति का हो और किस भोले भाले व्यक्ति की जमीन हड़प की है? सभी तथ्य वादीगण ने अपनी सुविधा अनुसार जैसा उन्हे अच्छा लगा वैसे दर्ज कर दिये जो माने जाने योग्य नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 526 के 10 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी भारमल का निरन्तर कब्जा काश्त चला आया है जो मौके की स्थिति व रेकॉर्ड से बखूबी साबित है। वादीगण 6 बीघा के स्थान पर 15 बीघा पर अपना कब्जा बताकर प्रतिवादी भारमल की जमीन हड़पना चाहते है जबकि उनका यदि 15 बीघा पर कब्जा काश्त होता तो 6 बीघा ही आवंटन क्यों होती इस सम्बन्ध में खुलासा रूप से स्पष्टिकरण नहीं दिया है व गोलमाल तथ्य दर्ज कर वाद पेश कर प्रतिवादीगण को झूठा तंग परेशान कर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

वाद का पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का वादग्रस्त खेत या उसके हिस्से पर कभी भी कोई हित या कब्जा नही रहा हो। जबकि संवत 2030 से पूर्व से प्रतिवादी संख्या 1 भारमल का कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है। यह गलत है कि वादीगण का लगातार कब्जा काश्त हो और वे खातेदार हो। यह भी गलत है कि प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में और सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में हो। यह गलत है कि यदि वादीगण को बेदखल कर दिया तो उनके व उनके परिवार का निर्वाह का साधन समाप्त हो जावेगा और अपूर्णीय क्षति वादीगण को होगी। यह गलत है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हो। बल्कि जैसा कि उपर कथन किया जा चुका है कि उक्त खसरा की उपरोक्त 10 बीघा में वादीगण का कभी कोई हक अधिकार कब्जा काश्त नहीं रहा, जिससे मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड व उपरोक्त तथ्यों अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में है और जब वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही कभी नही रहा न आज दिन है तो उन्हे बेदखल करने या नही करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है ऐसी सूरत में उन्हे किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति नही है ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी वाद हाजा मय खर्चा हर्जा खारिज किये जाने में ही है।

वाद का पैरा संख्या 6 वादहेतुक के सम्बन्ध है जिसमें सभी तथ्य बनावटी, झूठे व पूर्व में आये तथ्यों की पुनरावृति करते हुए दर्ज किये होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व स्व. हमीरा के

A2/7

कब्जे काश्त में संवत 2010 से पूर्व से हो। वादी स्वयं के तथ्य विरोधाभाषी है एक तरफ तो 15 बीघा कब्जा काश्त की होना बता रहे है और दूसरी और उनमें से 6 बीघा ही दिनांक 26.06.2002 को नियमन होना कथन कर रहे है यदि 15 बीघा कब्जा काश्त की होती तो 6 बीघा ही नियमन क्यों होती कोई खुलासा नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण हम प्रतिवादीगण की उक्त 10 बीघा भूमि को इस तरह से विधि विरूद्ध वाद के आधार पर हड़प नहीं सकते है। इस अनुच्छेद के अन्य तथ्यों का जवाब उपर दिया जा चुका है सभी तथ्य झूठे व बनावटी होने से अस्वीकार है।

वाद का पैरा संख्या 7 कानूनी होने से काबिल गौर अदालत है।

वाद का पैरा संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। संवत 2030 से पूर्व से लगातार प्रतिवादी भारमल का निर्बाध रूप से खसरा नम्बरर 526 के 10 बीघा भूभाग पर कब्जा काश्त रहता चला आया है जिसमें कभी भी वादीगण या अन्य किसी ने कोई अपत्ति नही की अब इतनी लम्बी अवधि पश्चात इस तरह का वाद किया है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

वाद का पैरा संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने मनमर्जी से बिना किसी आधार के पक्षकार दर्ज कर वाद पेश किया है जबकि वादीगण को इस तरह का वाद पेश करने का अधिकार ही नही था न है जिससे वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वाद का पैरा संख्या 10 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने बिना किसी अर्जेन्सी के प्रतिवादी संख्या 10 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना वाद पेश किया है जबकि विधिनुसार धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है उसके पश्चात ही उसमें वर्णित समयावधि के संबन्ध में छूट दी जा सकती है, नोटिस नही देने की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे भी वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वाद का पैरा संख्या 12 वादीगण की प्रार्थना है जो विधि विरूद्ध है मान्य जाने योग्य नहीं है उप पैरा संख्या क, ख, ग में वर्णित कोई अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के सक्षम अधिकारी नहीं है वाद वादीगण मय खर्चा हर्जा खारिज किये जाने योग्य है। काउण्टर क्लेम – खसरा नम्बर 526 गेर मुमकिन मगरा मौजा भडाणा एक बहुत बड़ा रकबा है जिसमें से 10 बीघा भूमि पर संवत 2030 से पूर्व से प्रतिवादी संख्या 1 भारमल का निरन्तर बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त रहता चला आया है जिसमें उसकी रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें परिवार सहित निवास करते है, पानी का होद बना हुआ है पशुओ का बाड़ा बनाया हुआ है तथा चारों तरफ तारबन्दी की हुई है। मात्र मूल खसरा नम्बर 526 में से भारमल को नियमानुसार भूमि नियमन होकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो रखी है लेकिन अब वादीगण की नियत में बदयान्ती आ गयी है व भारमल की जमीन को हड़पने की नियत से उसकी भूमि को अपने कब्जा काश्त की होना बताकर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें वादीगण सफल नहीं हो सकते। जिससे वादीगण को यह काउण्टर क्लेम घौषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण की नियत खराब हो गयी है व येनकेन प्रकारण माननीय न्यायालय में असत्य, भ्रमित व विरोधाभाषी तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी काउण्टर क्लेमकर्ता की भूमि हड़पने की नियत से वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश कर प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें वे कामयाब हो गये तो काउण्टरकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति होगी उनके विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराधात होगा तथा न्याय की मंशा विफल होगी। जबकि उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड व विधिक प्रावधानों अनुसार प्रथम दृष्टया मामला काउण्टर क्लेमकर्ताओं के पक्ष में है जिससे सुविधा का संतुलन भी वादीगण व दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर काउण्टर क्लेमकर्ताओं के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व कराने से हमेशा हमेशा के लिए रोके जाने में ही है।

काउण्टर क्लेम पेश करने का कारण वादीगण द्वारा सरासर गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश कर काउण्टर क्लेमकर्ताओं की जमीन हड़पने का प्रयास करने व न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति नही दर्शाकर गलत तथ्य बताकर काउण्टर क्लेमकर्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में होने से बमुकाम भडाणा तहसील नागौर में पैदा हुआ।

अतः जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सारहीन बलहीन व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे तथा काउण्टर क्लेम बहक प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 विरूद्ध वादीगण व दीगर प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादीर फरमावे–

अ– कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 526 की उपरोक्त 10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भारमल के कब्जा काश्त खातेदारी की घौषित की जावे।

ब–कि वादीगण व दीगर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के सदैव के रोका जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रों के कब्जा काश्त की उक्त भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे न अन्य से करावे।

स–कि अन्य दादरसी जो लाभार्थ काउण्टर क्लेमकर्ता हो प्रदान करावे।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के सम्मन पर तामिल कुनिंदा की रिपोर्ट लेने से इन्कार दो मौतबिरान के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को अवाज लगाई गई परन्तु ना तो स्वयं ना उनकी ओर से कोई उपस्थित आये। अतः प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं करने से जवाबदेही बंद की गई।

पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण विवादित खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 15 बीघा मौजा भडाणा वादीगण का होना स्वीकार करते है। पक्षकारान के मध्य इस संबंध में पूर्व में भी लिखापढी राजीनामा हो चुका है। जो मूल न्यायालय की पत्रावली में पेश है। विवादित खेत खसरा नम्बर 526 रकबा 15 बीघा को वादीगण की खातेदारी का घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ताओं ने राजीनामें में वर्णित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादीगण की ओर से ग्राम-भडाणा के खसरा नम्बर 526 की 15 बीघा संवत् 2012 से पूर्व का कब्जा होने के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है साथ ही पैरा संख्या 3 में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा 6 बीघा का नियमन कर देने के पश्चात् शेष 9 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से राजीनामा भी पेश किया गया है। अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 जिसमें खसरा नम्बर 526 की 169.12 बीघा भूमि गैर मुमकिन मगरा दर्ज है। आवंटन पत्रावली की नकल पेश की गई है। जिसमे संवत् 2049 से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होना अंकित है। इसके अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील की नकले प्रस्तुत की है परन्तु सभी रिकॉर्ड व कथनों से वादी को संवत् 2012 से या इससे पूर्व काबिज होना साबित होना नहीं पाया गया। वादीगण को नियमन के निर्णय से कोई ऐतराज है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए वादीगण स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। जिसमें 10 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि होने की घोषणा करने का निवेदन किया गया है। अपने कथन के समर्थन में न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के निर्णय दिनांक 25.03.1998 के द्वारा प्रकरण को तहसीलदार नागौर को रिमाण्ड किया गया है। इस प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से नियमन की प्रथम दृष्ट्या कार्यवाही करने के हकदार है ना कि खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिये। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी व काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18/5/16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

A8/1

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) नागौर कैम्प कोर्ट खजवाना
बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

1. रामपाल पुत्र श्री हमीरा
2. भूराराम पुत्र हमीरा
3. बिदामी पत्नि श्रवणराम
4. किशोरराम पुत्र श्रवणराम
5. सोनी पुत्र श्रवणराम
   जाति नायक निवासीगण भडाणा तहसील व जिला नागौर — वादीगण

बनाम

1. भारमल पुत्र बन्नाराम
2. सीताराम पुत्र भारमल
3. भगवानाराम पुत्र भारमल
4. रामनिवास पुत्र भारमल जाति नायक निवासीगण भडाणा तहसील व जिला नागौर
5. रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति नायक निवासी रेण हाल निवासी भडाणा
6. भंवराई पत्नि लूणाराम
7. मुन्नाराम पुत्र लूणाराम
8. धन्नाराम पुत्र लूणाराम
9. भल्लाराम पुत्र लूणाराम जाति नायक निवासी भडाणा प्रतिवादी संख्या 8 धन्नाराम व 9 भल्लाराम नाबालिक जरिए संरक्षिका माता प्रतिवादी संख्या 6 भंवराई
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नागौर — प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी तथा स्थाई व्यादेश वाद अधीन धारा 88, 188 विकल्प में 92 क राजस्थान टिनेसी अधिनियम ।

मुकदमा नं 223 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू _____ बहाजरी _____ मिनजानिब मुदई ब _____ मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी व काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.2016 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर